

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2014 **FIR No:**13 **Date:** 16.04.2014

2. **Act(s):** **Section(s)**
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 13(1) D
(ii) IPC 420,467,468,471,204,120B
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Wednesday **Date From:** 16.04.2014 **Date To:** : 16.04.2014
Time Period: **Time From:** **Time To:**
(b) **Information received at P.S:** **Date:** : 16.04.2014 **Time:** 11:00 Hrs
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 5 **Time:** 11:00 Hrs

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** South-East/75 KM **Beat No.:** 04
(b) **Address:** Area of Distt BWN
(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**
Name of P.S: **District:**

6. **Complainant/Informant:**

(a) **Name:** . Siri Ram Inspector SVB HSR
(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN
(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**
(d) **Occupation:**
(e) **Address:**
(f)

(g) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. 1. Chand Ram Ex Xen. PWD BWN

2.RK Sahrawat Ex SDO PWD and Others BWN

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

SI.No.	Property Type (Description)	Est. Value (Rs.)	Status
--------	-----------------------------	------------------	--------

(i)

(ii)

(iii)

10. **Total value of property stolen:**

11. **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12. **F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

श्रीमान जी निवेदन है कि जांच न० 5 दिनांक 23.7.13 भिवानी विरुद 1. चांद राम पुर्व कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भिवानी (सेवानिवृत) 2. आर.के. सहरावत पुर्व उपमण्डल कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तोशाम जिला भिवानी हाल कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रोहतक 3. औमप्रकाश सिंह पुर्व उपमण्डल लिपिक कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तोशाम

जिला भिवानी 4. विनोद कुमार बतरा पुर्व डिविजनल अकाउन्ट आफिसर कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भिवानी हाल मकान न० 914 सै० 2 रोहतक 5. किशोरी लाल पुर्व आडिटर कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भिवानी हाल मकान न० 62 पुराना हाउसिंग बोर्ड भिवानी 6. प्रहलाद कुमार शर्मा पुर्व आडिटर कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भिवानी हाल वार्ड न० 13 हीरा चौक चरखी दादरी 7. करण सिंह पुत्र रोशन लाल बेलदार लोक निर्माण विभाग तोशाम जिला भिवानी 8. विनोद कुमार पुत्र रामकुमार हाल चालक लोक निर्माण विभाग चरखी दादरी जिला भिवानी 9. रमेश कुमार पुत्र हरिसिंह हाल बेलदार लोक निर्माण विभाग भिवानी व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक न० 26/23/13-2 चौकसी -1 दिनांक 25.2.14 की अनुपालना मे वा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचुकला के कार्यालय पत्र क्रमांक न० 2960/1-3 एस.वी.बी. हरियाणा दिनांक 28.2.14 आसुचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्ट्रर होकर रजिस्ट्रर की गई थी जो एस.पी. एस.वी.बी. हिसार के कार्यालय से प्राप्त हुई थी जिसमे आरोप था कि श्री ए.के. महता व आर. के. सहरावत कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भवन एंवम सडके) ने दैनिक मजदुरी (डेलीवेज) पर कार्य करने वाले उम्मीदवारो को नियमित करने से सम्बन्धित आरोप था । जिसकी पडताल निरीक्षक अजायब सिंह व निरीक्षक ज्ञान सिंह द्वारा की गई थी जिसमे पाया गया था कि श्री ए.के. महता व आर.के. सहरावत कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 1991 से सितम्बर 2002 तक उपमण्डल कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भवन एंवम सडके) प्ररातीय उपमण्डल तोशाम जिला भिवानी मे तैनात थे उस समय सरकार के पत्र क्रमांक 6/38/95-2 जी.आई.एस. दिनांक 07.30.1996 व 18.3.1996 अनुसार उन दैनिक मजदुरी (डेलीवेज) कर्मचारियो को नियमित किया जाना था जिसका दिनांक 31.01.1996 को 3 साल का कार्याकाल पुरा हो चुका हो तथा जिनकी प्रत्येक साल की 240 हाजरी बनती थी जिसका एक समय मे एक माह से ज्यादा सर्विस ब्रेक नही था सरकार के उक्त आदेशो की अनुपालना मे श्री आर.के. सहरावत तत्कालीन उपमण्डल अभियन्ता उक्त द्वारा 10 बेलदारो को नियमित करने की सुचि तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भिवानी को भेजी थती जिस पर 10 बेलदारो को नियमित कर दिया गया था । इस सुचि मे करण सिंह पुत्र रामकुमार वर्ष 1993-94 की हाजरियो के अनुसार व विनोद कुमार पुत्र श्री रामकुमार वर्ष 1994-95 व 1995-1996 की हाजरियो के अनुसार नियमित होने के पात्र नही थे इसके अतिरिक्त वाउचर न० 39 दिनांक 05.03.1993 वाउचर न० 4 दिनांक 10.04.1994 मे महाबीर सिंह पुत्र हरचन्द के पिता के नाम मे कटिंग व ओवर राईटिंग थी तथा वाउचर न० 23 दिनांक 05.30.1993 मे राजकुमार पुत्र हेमराज के पिता के नाम मे कटिंग की गई थी इसी प्रकार श्री ए.के. महता तत्कालीन उपमण्डल अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के प्रातीय उपमण्डल -2 भिवानी द्वारा भी 15 बेलदारो की सुचि उक्त आदेशो की अनुपालना मे ही उन्हे नियमित करने हेतू तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भिवानी को भेजी थी जिसमे 1 बेलदार रमेश पुत्र हरिसिंह का रिकार्ड उपलब्ध नही था तथा वर्ष 1993-94, 1994-95 व 1995-96 की हाजरियो के अनुसार नियमित होने का पात्र नही था इस प्रकार उक्त आयोग्य बेलदार नियमित किये गये जिस पर अपराध जैर धारा 13(1) डी पी.सी. एक्ट व जैर धारा 420,467,468,471,204,120 बी.

आई.पी.सी. का किया जिस पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश करने की रिपोर्ट निरीक्षक ज्ञान सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार वा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला को प्रस्तुत की जो कि महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो के पत्र क्रमांक न० 568 राज्य चौकसी ब्यूरो दिनांक 13.1.14 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाई जो यह अब जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 26/23/13-2 चौकसी -1 दिनांक 25.2.14 के अनुसार मुकदमा दर्ज करने के आदेश मार्फत महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो के पत्र क्रमांक न० 2960/1-3 एस.वी.बी. हरियाणा पंचकुला दिनांक 28.02.14 को पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो के कार्यालय मे प्राप्त हुई है जो आदेश अनुसार जांच न० 5/13 दिनांक 27.07.13 भिवानी की अन्तिम रिपोर्ट हस्ब आदेश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मुकदमा वा जुर्म जैर धारा 13(1) डी पी.सी. एक्ट व जैर धारा 420,467,468,471,204,120 बी. आई.पी.सी. पुलिस स्टेशन राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर मिशाल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड 9 फाईल व आदेश मुख्य सचिव आगामी तफतीश हेतू हवाले अनील कुमार निरीक्षक के की जाकर नकुलात एफ.आई.आर. दर्ज की जाकर बजरिया स्पैशल रिपोर्ट बदस्त स्पैशल सि० कुलदीप सिंह 1152/ भिवानी के द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट भिवानी वा पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा मे भिजवाई जा रही है ।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

- (i) Registered the case and took up the investigation
(ii) Directed (Name of the I.O.): Anil Kumar
No H/161

OR

**Rank: Inspector
to take up the investigation, OR**

- (iii) Refused investigation due to:

OR

- (iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

**14.
Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:**

**Signature of Officer
Name Siri Ram
Rank INSP**